अति आवश्यक–विद्यान सभा चुनाव–2018

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर

दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./अति.मु.अ. (मुख्यालय.)/अ.अ.–II/2018–19/प्रे 1899 दि: 25/X/018.

आदेश

विषयः– विधान सभा चुनाव–2018 के दौरान मतदान बूथों पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने बाबत्।

श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र संख्या एफ. 8(2)(28) निर्वा/2017/6769 दिनांक 04.10.2018 द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव–2018 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां बिजली कनेक्शन नही है उन पर मतदान अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने हेतु व अमानत राशि से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में यह निर्देश दिये जाते है कि उक्त अवधि के लिये जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार मतदान बूथों पर सिंगल फेस (5 कि.वा. तक) अस्थाई विद्युत कनेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके लिये व्यय होने वाली राशि का विवरण उपभोग की गई विद्युत के व्यय सहित मतदान के तुरन्त बाद निम्नलिखित दरों पर भुगतान हेतु मय विवरण, सम्बन्धित वृत्त लेखाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र शुल्क	रू. 200.00
स्थाई व्यय	रू. 250.00
विद्युत दर (अस्थाई कनेक्शन हेतु)	रू. 13.20 प्रति यूनिट
स्थाई शुल्क	रू. 49.50 (तीन दिन के लिये)

अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक प्रक्रिया (जैसे प्रार्थना पत्र, स्टाम्प पेपर, एल फार्म, भुगतान हेतु अन्डरटेकिंग इत्यादि) जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति से पूरी करवा लेवें। उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर की अनुमति से जारी किये जाते है।

आज्ञा से
25.10.18

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य अभियन्ता (अजमेर संभाग/उदयपुर संभाग/झुन्झुनु संभाग), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/झुन्झुनु।
3. श्रीमान् प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (अशवृ/अजिवृ/पवस), अजमेर डिस्कॉम, ...।

25.10.18

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यांलय)